सूचना

पैरालीगल वालेन्टियर्स के आवेदन के सम्बन्ध में

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 440/एसएलएसए-55/2010 दिनांकित 17 फरवरी 2016 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर 50 व तहसील स्तर पर 25-25 पैरालीगल वालेन्टियर्स के रुप में कार्य करने हेतु संलग्न प्रारुप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

पैरालीगल वालेन्टियर्स से न केवल विधि सम्बन्धी प्रकिया एवं नियमों की जानकारी आम जनता को देने बल्कि उन्हें पक्षकारों के मध्य सामान्य विवादों को शुरुआती स्तर पर ही तय करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित भी किया जाना अपेक्षित है ताकि पक्षकारों को स्वयं विधिक सेवा/कानूनी सहायता केन्द्रों पर आने की आवश्यकता न पड़े।

यदि कोई विवाद ऐसी प्रकृति का है जो कि पैरालीगल वालेन्टियर्स की सहायता से हल नहीं किया जा सकता है, तो पक्षकार ए0 डी0 आर0 सेन्टर के माध्यम से अपना वाद निस्तारित करवा सकते हैं।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता-- हाई स्कूल

अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों, शिक्षक, राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, M.S.W. अध्यनरत विद्यार्थी, आंगनवाणी कार्यकर्ता, डाक्टर, विधि छात्र (अधिवक्ता के रुप में पंजीकृत होने से पूर्व) को वरीयता दी जायेगी।

अधिवक्ता आवेदन नहीं कर सकते हैं।

पैरालीगल वालेन्टियर्स को विधिक जानकारी से सम्बन्धित, विशिष्ट कार्य करने पर प्रतिदिन 250/- रु0 मानदेय देय होगा।

इच्छुक आवेदक (मुख्यालय स्तर हेतु) अपना आवेदन पत्र शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट, शाहजहाँपुर के कार्यालय में तथा (तहसील स्तर हेतु) सम्बन्धित तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यालय में दिनांक 10.07.2016 तक प्रेषित, प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक 10.07.2016 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को नियत तिथि पर साक्षात्कार हेतु सूचित किया जायेगा।

Shikha Pradhan

दिनॉक 15.06.2016

(शिखा प्रधान) 15/06/2016

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
शाहजहॉपुर।